संख्या : ए–1–435/दस–2011–10(38)/2011

प्रेषक,

डा. बी.एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2011

विषय : सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ।

महोदय,

वित्त विभाग एवं महालेखाकार के मध्य विचार–विमर्श कर महत्वपूर्ण समस्याओं के निदान हेतु प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की 34वीं बैठक में अवगत कराया गया है कि सहायक अनुदान (ग्रान्ट–इन–एड) के सापेक्ष आहरित धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय में प्रायः प्राप्त नहीं होते हैं । इसके फलस्वरूप राज्य के वित्त लेखे में अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवशेष के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–16ए–सहायक अनुदान के सामान्य नियम (जनरल रूल्स फॉर ग्रान्ट–इन–एड) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर–369–एच व 369–आई के अनुसार प्रशासकीय विभाग अथवा उस अधिकारी, जिसके द्वारा अनुदान की स्वीकृति दी गयी हो, से सम्बन्धित वर्ष के बाद दिनांक 30 सितम्बर तक महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निम्नवत् प्रमाण–पत्र भेजा जाना अपेक्षित है ।

(क) किसी स्थानीय निकाय अथवा निजी संस्थान के मामले में, जिसे बिना शर्त वार्षिक अनुदान दिया गया हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र भेजा जाय कि सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा निजी संस्थान उस वर्ष में सक्रिय रूप से कार्यशील रहा है, जिससे अनुदान सम्बन्धित हो ।

(ख) सशर्त अनुदान के मामले में इस आशय का प्रमाण–पत्र भेजा जाय कि अनुदान को शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था । यह प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रपत्र–42–आई पर दिया जायेगा ।

अतः कृपया वित्तीय वर्ष 2009–2010 व 2010–2011 में प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत किये गये सहायक अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र

संकलित कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें । साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–2012 में स्वीकृत / स्वीकृत किये जाने वाले सहायक अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी यथा समय महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिये जायं ।

भवदीय,

(बी.एम. जोशी)
सचिव, वित्त ।

संख्या : ए–1–435(1)/दस–2011–10(38)/2011, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग ।

आज्ञा से,

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव, वित्त ।